

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सख्ती / टोंक / निविदा / 2020 / 14

दिनांक :- १६/१०/२०

निदेशक,
निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सचिवालय राजस्थान, जयपुर।


विषय :- जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला टोंक की विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत जब्तशुदा बजरी स्टॉकों की निलामी विक्रय हेतु बजरी स्टॉक विवरण निम्नानुसार है-

- जिला टोंक की तहसील पीपलू में राजस्व ग्राम ककराजखुर्द के खसरा नम्बर 202 रकबा 51.01 बीघा कीस्म चारागाह में आंगनबाड़ी केन्द्र के पास लगभग 5600 टन जब्तशुदा खनिज बजरी एवं राजस्व ग्राम ककराज कला के खसरा नम्बर 110/1 रकबा 15.07 बीघा कीस्म चारागाह पर अनुमानित मात्रा लगभग 2520 टन इस प्रकार कुल 8120 टल जब्तशुदा खनिज बजरी स्टॉक
- जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के आस पास निजी खातेदरी सिचायचक एवं चारागाह भूमि पर कुल तीन अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 4000 टन
- जिला टोंक की तहसील टोंक में ग्राम चिरोंज बनास नदी क्षेत्र में बालाजी मन्दिर के सामने अनुमानित मात्रा लगभग 1890 टन खातेदारी भूमि में अवैध बजरी स्टॉक एवं बालाजी मन्दिर के पीछे व विद्युत सब ग्रिड स्टेशन के पास खाली जगह पर खनिज बजरी मात्रा लगभग 6300 टन इस प्रकार कुल 8190 टन
- जिला टोंक की तहसील पीपलू के राजस्व ग्राम डोडवाड़ी के आस पास खातेदारी एवं चारागाह भूमि में खाली जगहो पर कुल 14 स्थानो पर अवैध बजरी की ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 6000 टन एवं राजस्व ग्राम लॉक तहसील पीपलू जिला टोंक के आस पास खातेदरी एवं चारागाह भूमि पर कुल चार अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1000 टन इस प्रकार कुल 7000 टन

उक्त जब्तशुदा बजरी स्टॉक की सार्वजनिक, निविदाए, आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति ८ आठ प्रतियों में गय सॉफ्टकापी संलग्न कर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिलास्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।


भवदीय

७/प्रमालिक उस्तर
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

प्रगांक खाता / जय / निविदा / 2020 / १५-२६

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक ८/८/२०२०

1. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक टांक
3. श्रीमान निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को निवेदन है कि नियमानुसार उचित लेखाधिकारी निविदा के निस्तारण हेतु नियत तिथी को उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
5. नोडल अधिकारी डी एम जी ओ एम एस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र, जयपुर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर।
8. श्रीमान तहसीलदार महोदय, टोंक/निवाई/पीपलू/मालपुरा/टोडारायसिंह/देवली/उनियारा
9. श्रीमान खनि अभियन्ता, जयपुर।
10. श्रीमान जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को निलामी प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन हेतु।
11. श्रीमान जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
12. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा।


०८ सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खणिज भवन सिविल लाईन टोंक
दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सख्त / टोंक / निविदा / 2020 / २७

दिनांक :- ४/६/२०२०

जिला टोंक विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत जब्तशुदा बजरी रट्टकों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 18 जून 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक कार्यालय राहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 18 जून 2020 को सायंकाल: 4.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर -1 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम रां.	स्थान का विवरण जहाँ जप्त बजरी पड़ी हुई है	बजरी की अनुगानित गात्रा (टनों गे)	बयाना/ अगानता राशि	चूनतगा बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक की तहसील पीपलू में राजस्व ग्राम ककराजखुर्द के खसरा नम्बर 202 रकबा 51.01 बीघा कीस्म चारागाह में आंगनबाड़ी केन्द्र के पास लगभग 5600 टन जब्तशुदा खनिज बजरी एवं राजस्व ग्राम ककराज कला के खसरा नम्बर 110/1 रकबा 15.07 बीघा किस्म चारागाह पर अनुमानित मात्रा लगभग 2520 टन इस प्रकार कुल 8120 टल जब्तशुदा खनिज बजरी रट्टक	(5600 + 2520) = 8120	4,46,600	44,66,000
2	जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के आस पास निजी खातेदारी सिचायचक एवं चारागाह भूमि पर कुल तीन अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 4000 टन जब्तशुदा बजरी रट्टक जब्तशुदा अवैध बजरी रट्टक	4000	220000	2200000
3	जिला टोंक की तहसील टोंक में ग्राम चिरोंज बनास नदी क्षेत्र में बालाजी मन्दिर के सागने अनुमानित मात्रा लगभग 1890 टन खातेदारी भूमि में अवैध बजरी रट्टक एवं बालाजी मन्दिर के पीछे व विद्युल सब ग्रिड रेटेशन के पास खाली	(1890 + 6300) = 8190	450450	4504500


मानिक उर्मा

	जगह पर खनिज बजरी मात्रा लगभग 6300 टन पड़े हुए जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक			
4	जिला टोक की तहसील पीपलू के राजस्व ग्राम डोडवाडी के आस पास खातेदारी एवं चारागाह भूमि में खाली जगहों पर कुल 14 स्थानों पर अवैध बजरी की ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 6000 टन एवं राजस्व ग्राम लॉक तहसील पीपलू जिला टोक के आस पास खातेदारी एवं चारागाह भूमि पर कुल चार अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1000 टन पड़े हुए जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक	(6000+1000) = 7000	385000	3850000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्त निम्नानुसार रहेगी :-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्षेत्र का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोक खनिज भवन, सिविल लाइन टोक के कमरा नं. 01 पर रखे टेण्डर वॉक्स में दिनांक 18 जून 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, टोक के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी मौके पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 18 जून 2020 को सायंकाल 4:00 बजे उपरिथित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से नियत समायावधि में समाप्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेघर व परिवहन इत्यादि) अपने रत्त पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मागले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नग्वर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को घोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।


11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को रवीकार/अरवीकार करने का अन्तिग निर्णय निविदा कमेटी का सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जगा कराये जाने के उपरांत कार्यालय राहायक खनि अभियन्ता टोक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुरार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस राहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुगत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा राकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवरथा करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं काग्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के साम्बन्धित ऊपर अंकित को WhatsApp पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुगत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियाँ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के साम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का गेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथकिता दी जायेगी।


 DCC (मलिक उस्तर)
 सहायक खनि अभियन्ता टोक
 दिनांक :

क्रमांक:- सख्त/टोक/नीलामी/2020/२८-३३

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोट किये जाने हेतु।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर टोक को मिटिंग दिनांक 6.3.2020 एवं 05.06.2020 के निर्देशों की पालना में।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


 DCC सहायक खनि अभियन्ता टोक

क्रमांक:- सख्ती/टोक/निविदा/2020/३४


दिनांक :-

नीलामी सूचना प्रकाशन 01/2020-21

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोक की विशिन तहसीलों के अन्तर्गत जब्तशुदा निम्नानुसार है-

- जिला टोक की तहसील पीपलू में राजस्व ग्राम ककराजखुर्द के खसरा नग्वर 202 रक्बा 51.01 बीघा कीसम चारागाह गे आंगनबाड़ी केन्द्र के पास लगभग 5600 टन जब्तशुदा खनिज बजरी एवं राजस्व ग्राम ककराज कला के खसरा नग्वर 110/1 रक्बा 15.07 बीघा किरमा चारागाह पर अनुमानित मात्रा लगभग 2520 टन इस प्रकार कुल 8120 टल जब्तशुदा खनिज बजरी रट्टौक
- जिला टोक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के आस पास निजी खातेदरी सिचायचक एवं चारागाह भूमि पर कुल तीन अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 4000 टन
- जिला टोक की तहसील टोक में ग्राम चिरोंज बनास नदी क्षेत्र में बालाजी मन्दिर के सामने अनुमानित मात्रा लगभग 1890 टन खातेदारी भूमि में अवैध बजरी रट्टौक एवं बालाजी मन्दिर के पीछे व विद्युल सब ग्रिड स्टेशन के पास खाली जगह पर खनिज बजरी गात्रा लगभग 6300 टन इस प्रकार कुल 8190 टन
- जिला टोक की तहसील पीपलू के राजस्व ग्राम डोडवाडी के आस पास खातेदारी एवं चारागाह भूमि में खाली जगहों पर कुल 14 स्थानों पर अवैध बजरी की ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 6000 टन एवं राजस्व ग्राम लॉक तहसील पीपलू जिला टोक के आस पास खातेदरी एवं चारागाह भूमि पर कुल चार अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 1000 टन इस प्रकार कुल 7000 टन

उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 18 जून 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 18 जून 2020 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।


सहायक खनि अभियन्ता टोक
०१८